



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072021-228235
CG-DL-E-12072021-228235

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2573]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 12, 2021/आषाढ़ 21, 1943

No. 2573]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 12, 2021/ASHADHA 21, 1943

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2021

दि.मु.यो. 2021 से उत्पन्न आवासीय सम्पत्तियों, सहकारी समूह आवास, मिश्रित उपयोग/कमर्शियल स्ट्रीट और व्यावसायिक सम्पत्तियों (होटल और पार्किंग प्लॉटों को छोड़कर) के लिए बड़े हुए एफ.ए.आर. हेतु लागू की जाने वाली दरों का निर्धारण

का.आ.2778(अ).— दि.मु.यो.-2021 से उत्पन्न आवासीय सम्पत्तियों, सहकारी समूह आवास, मिश्रित उपयोग/कमर्शियल स्ट्रीट और व्यावसायिक सम्पत्तियों (होटल और पार्किंग प्लॉटों को छोड़कर) के लिए बड़े हुए एफ.ए.आर. हेतु लागू की जाने वाली दरें, का.आ. संख्या 3172 (ई) दिनांक 29.06.2018 द्वारा अधिसूचित की गई थीं। तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित दरें छह माह के विंडो पीरियड अर्थात् 28.12.2018 तक के लिए वैध थीं और उसके बाद कॉलम 5 में उल्लिखित दरें लागू की जानी थीं। कॉलम 4 में उल्लिखित दरों की अनुप्रयोज्यता हेतु अवधि को का.आ. 359 ई दिनांक 21.01.2019 के साथ पठित का.आ. 373 (ई) दिनांक 23.01.2019 द्वारा दिनांक 28.06.2019 तक आगे बढ़ाया गया, अधिसूचना सं. का.आ. 2271 (ई) दिनांक 01.07.2019 द्वारा 28.06.2020 तक बढ़ाया गया, का.आ. संख्या 2989 (ई) दिनांक 03.09.2020 द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक बढ़ाया गया और पुनः का.आ. 770 (ई) दिनांक 19.02.2021 द्वारा 30.06.2021 तक बढ़ाया गया।

2. इसी दौरान अधिसूचना का.आ. 3172 (ई) दिनांक 29.06.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए स्थानीय बाजारों/सुविधा केन्द्रों और दुकान एवं आवासीय परिसरों (दुकान एवं आवासीय प्लॉटों/दुकान प्लाटों) के लिए

अतिरिक्त एफ.ए.आर. हेतु मद संख्या 4 (ए) की दरों को का.आ. सं. 2892 (ई) दिनांक 09.08.2019 द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया और अधिसूचित किया गया था, जो 28.06.2020 तक मान्य थीं। इन दरों की अनुप्रयोज्यता अवधि को का.आ. 2989 (ई) दिनांक 03.09.2020 द्वारा 31.12.2020 तक आगे बढ़ा दिया गया था और पुनः का.आ. 770 (ई) दिनांक 19.02.2021 द्वारा दिनांक 30.06.2021 तक बढ़ाया गया।

3. अब दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा उपर्युक्त पैरा 1 और 2 के अंतर्गत प्रभावों की अनुप्रयोज्यता हेतु वैधता अवधि को 31.12.2021 तक आगे बढ़ाता है।

[फा. सं. एफ.2 (14) 2020-21/एओ (पी)/डीडीए]

डी.सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2021

Fixation of rates to be applied for enhanced FAR for residential properties, Coop. Group Housing, Mixed Use/ Commercial streets and commercial properties (excluding hotel and parking plots) arising out of MPD 2021

S.O. 2778(E).— The rates to be applied for enhanced FAR for residential properties, Coop. Group Housing, mixed use/Commercial Streets and Commercial Properties (excluding hotel and parking plots) arising out of MPD 2021 were notified vide S.O.3172 (E) dated 29th June, 2018. The rates under column 4 of the table were valid for a window period of six months, i.e. up to 28.12.2018 and thereafter the rates as shown under column 5 were to apply. The period for applicability of the rates mentioned under Column 4 was further extended up to 28.06.2019 vide S.O. 359(E) dated 21.01.2019 read with S.O.373(E) dated 23.01.2019, up to 28.06.2020 vide Notification No. S.O. 2271(E) dated 1st July, 2019, up to 31.12.2020 vide S.O. 2989(E) dated 03.09.2020 and again up to 30.06.2021 vide S.O. 770(E) dated 19.02.2021.

2. In the meanwhile, the rates of item No. 4(A) for addl. FAR for LSCs/CSCs and shop-cum-residential complexes (Shop-cum-residence plots/shop plots) in partial modification of Notification S.O. 3172(E) dated 29.06.2018 were rationalized and notified vide S.O. No. 2892(E) dated 09.08.2019 and were valid up to 28.06.2020. The period for applicability of these rates was further extended up to 31.12.2020 vide S.O. 2989(E) dated 03.09.2020. and again up to 30.06.2021 vide S.O. 770(E) dated 19.02.2021.

3. Now in exercise of the powers conferred under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Delhi Development Authority with the prior approval of the Central Government, hereby further extends the validity period for applicability of the rates under Para 1 & 2 above up to 31.12.2021.

[F. No. F 2(14)2020-21/AO(P)/DDA]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.